भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2974
दिनांक 18 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

रासायनिक उर्वरक का पशु स्वास्थ्य पर प्रभाव

2974. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को रासायनिक उर्वरकों, विशेषकर यूरिया के पशु स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार पशुपालकों और किसानों को यूरिया और सुरक्षित पशु चारे के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पशुओं के स्वास्थ्य को किसी हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए प्राकृतिक अथवा जैविक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का पशुपालकों को ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए कोई मुआवजा या वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) दवारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पशुओं में यूरिया विषाक्तता का अध्ययन किया गया है। तदनुसार, पशुओं के निष्पादन पर यूरिया अनुपूरण के आधार पर पशु आहार में यूरिया मिलाने का सुरक्षित स्तर तय किया गया है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अनुशंसित मात्रा में तथा विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।

(ख) पशुधन रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ASCAD) के तहत विभाग उत्कृष्ट पशुपालन प्रथाओं और पशु चिकित्सा देखभाल संबंधी जागरूकता, प्रशिक्षण और प्रचार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्षेत्रीय चारा स्टेशनों के माध्यम से विभाग चारा उत्पादन और रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर सालाना किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इसके अलावा, आईसीएआर संस्थानों द्वारा यूरिया का उपयोग करके पुआल के यूरिया अमोनियाकरण पर किसानों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। जैसा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बताया गया है, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के माध्यम से किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड और सलाह जारी की गई है।

पशुपालन और डेयरी विभाग, पोषण में सुधार के लिए साइलेज और टोटल मिक्स राशन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन नामक योजना के तहत डेयरी में लगे किसानों और दूध उत्पादकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के तहत किसानों को अच्छी स्वच्छता पद्धति और अच्छी निर्माण पद्धति पर दूध परीक्षकों, डीसीएस कर्मचारियों, डेयरी कर्मियों को संयंत्र संचालन पर प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त चारा विकास कार्यकलाप के अंतर्गत, आधुनिक चारा उत्पादन और संरक्षण तकनीकी के प्रदर्शन और प्रचार के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

विभाग ने उद्यमियों, किसानों और अन्य हितधारकों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौशल विकास रुपरेखा भी तैयार की है। यह पहल यह सुनिश्चित कर रही है कि नवीनतम ज्ञान और प्रशिक्षण के साथ व्यक्तियों को सशक्त बनाकर पशुधन क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बना रहे।

(ग) जैसा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बताया गया है, सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना के माध्यम से जैविक खेती (पीकेवीवाई) को बढ़ावा दे रही है और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित एकीकृत एवं जलवायु अनुकूल टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) को लागू किया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) मृदा स्वास्थ्य में गिरावट और भूजल के प्रदूषण को रोकने के लिए 4आर दृष्टिकोण यानी सही मात्रा, सही समय, सही तरीका और सही प्रकार के उर्वरक तथा रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ पौधों के पोषक तत्वों के अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों स्रोतों (खाद, जैव-उर्वरक आदि) के संयुक्त उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की सिफारिश कर रहा है।

(घ) और (ड़) विभाग के पास इस संबंध में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

*****